INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP64398227867321Y

2479/26

Certificate No.	:	IN-UP64398227867321Y
Certificate Issued Date	:	21-Jan-2026 05:32 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14176304/ MOHANLALGANJ/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1417630418529760397766Y
Purchased by	:	AGRASHEEL INFRATECH PVT LTD
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	GATA NO-256 VILLAGE-BELI TEH-MLG LKO
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAM SUMER
Second Party	:	AGRASHEEL INFRATECH PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	AGRASHEEL INFRATECH PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	93,500 (Ninety Three Thousand Five Hundred only)

सत्यमेव जयते

₹93,500

IN-UP64398227867321Y

Please write or type below this line

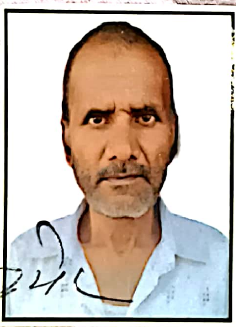

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

PF 0026318767

VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

मालियत – 13,32,000/–
स्टाम्प – 93,500/–
दर – 37,00,000/–प्रति हे0
ई0 स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0– IN-UP64398227867321Y
दिनांक – 21/01/2026

COLLABORATION AGREEMENT

यह Collaboration Agreement 18/03/2024 को किया गया है और 18/03/2024 से प्रभावी है, इनके द्वारा और इनके बीचः–

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
राम सुमेर पुत्र महादीन पता– ग्राम–बेली खुर्द, सठवारा, बेली, लखनऊ उ0प्र0। आधार संख्या– 783576344765 पैन संख्या– MGYPS6321Q मो0 न0– 8808948520	**अग्रशील इन्फ्राटेक प्रा0लि0** 910, 9फ्लोर, मरकेनटाइल हाउस, के0जी0 मार्ग न्यू दिल्ली–11000 **अधिकृत हस्ताक्षरी–** समरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र चन्द्रभान प्रताप सिंह पता– आर/ओ, ए–6/18 राम विहार शिवाजी पुरम इन्फ्रन्ट ऑफ विक्रमादित्य स्कूल सेक्टर–11 इन्द्रानगर लखनऊ उ0प्र0। मो0 न0– 7007123394

1. द्वितीय पक्ष विकास एवं निर्माण कार्य में दक्ष है एवं विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं का कार्य कर रही है। उपरोक्त दक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को विकास कार्य, क्रय–विक्रय, प्रकाशन, प्रचार, प्राधिकरण एवं अन्य संगठनों से अनुमोदन की कार्यवाही इत्यादि का अधिकार अनुसूची "ए" में दिये गये भूमि पर दिया जा रहा है।

रामसुमेर

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

2. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को उनके भूमि खाता सं0 287 की गाटा सं0 256 रकबा 0.720 हे0 का 1/2 भाग रकबा 0.360 हे0 स्थित ग्राम बेली परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ के योगदान के बदले में 0.0929 हे0 विकसित भूमि परियोजना के द्वितीय फेज में प्रतिफल के रूप में दिया जायेगा।

3. प्रथम पक्ष इस एग्रीमेंट के तहत विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि चिन्हित करने के लिये अनुसूची ''ए'' सम्पत्ति के अनुसार भूमि का भौतिक कब्जा दूसरे पक्ष को सौंप देगा। यह एग्रीमेंट परियोजना के पूर्ण होने तक खण्डित नहीं किया जा सकेगा।

4. प्रथम पक्ष जो की अनुसूचित जाति का नही है अतः आपसी सहमति से तय प्रतिफल के अतिरिक्त किसी भी राशि का दावा नहीं करेगा और बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार करेगा।

5. दूसरा पक्ष इस एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार सीमाओं का बदलने, विकास करने और परियोजना क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन करने में सक्षम होगा।

6. इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रथम पक्ष इस बात पर भी सहमत है कि वे किसी भी अदालत में उपरोक्त प्रतिफल और जुर्माने (जैसा कि इस एग्रीमेंट के तहत लागू है) के अतिरिक्त किसी प्रकार के भुगतान के लिए दावा नहीं करेंगे और कोई भी याचिका दायर करने के हकदार नहीं होंगे। ऐसी याचिका व्यर्थ और अवैध होगी और वे दूसरे पक्ष के आदेशों का पालन करेंगे।

7. प्रथम पक्ष एतद्द्वारा घोषणा करता है और दूसरे पक्ष को आश्वस्त करता है कि आज की तारीख में अनुसूची ''ए'' सम्पत्ति पर कोई बाधा, पूर्व समझौते, संयुक्त परिवार के हित, पट्टे/लाइसेंस, ऋण, शुल्क या कुर्की नहीं है और उनके पास है। यदि कोई तीसरे पक्ष का दावा है, तो पहला पक्ष अकेले ही अपनी लागत पर इसे निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि व उचित समय के भीतर इसे निपटाने में विफल रहते हैं, तो दूसरा पक्ष, बिना बाध्य हुए, ऐसे दावों को निपटाने का हकदार होगा। ऐसी शर्तों पर जिन्हें दूसरा पक्ष उचित और समीचीन समझे और पहले पक्ष की कीमत पर, जो पहले पक्ष पर बाध्यकारी होगा। पहली पार्टी अकेले ही अनुसूची ''ए'' सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने और शीर्षक की जांच या सीमाओं के सीमांकन आदि के लिए आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में, प्रथम पक्ष आगे यह वचन देता है कि शीर्षक या किसी तीसरे पक्ष के दावे या संस्था के दावे, बैंक के दावे या किसी अन्य दावे या किसी पूर्व समझौते में दोष, यदि कोई हो, के लिये वह अकेला जिम्मेदार होगा। यदि कोई हो, तीसरे पक्ष द्वारा और उनके दावों या किसी मुकदमे की भरपाई भी की जायेगी यह उसकी अपनी लागत के बराबर होगा और दूसरा पक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8. प्रथम पक्ष इसके द्वारा इस भूमि/परिसर की, दूसरे पक्ष को परियोजना के विकास के उद्देश्य से भौतिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है।

रामप्रकाश

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

9. इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम पक्ष के पास अनुसूची ''ए'' सम्पत्ति के शीर्षक को बेचने/बदलने का कोई अधिकार नहीं है।

10. दूसरा पक्ष अनुसूची ''ए'' सम्पत्ति के साथ परियोजना विकसित करने के उद्देश्य से किसी भी अन्य भूमि को शामिल करने का हकदार होगा, पहले पक्ष को इस संदर्भ की ऐसी शर्तों पर आपत्ति नही होगी।

11. दूसरा पक्ष किसी भी अन्य भूमि के साथ अनुसूची ''ए'' संपत्ति विकसित करेगा (इस एग्रीमेंट के हिस्से के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से) और इसे नियोजित विकास के लिए उपयुक्त तरीके से पुर्नगठित और नया आकार दिया जा सकता है।

12. प्रथम पक्ष इस बात से सहमत है कि दूसरे पक्ष के पास परियोजना के सह–डेवलपर्स के रूप में अन्य कम्पनी/कम्पनियों को शामिल करने का विशेष अध्किार है और उनके साथ अलग एग्रीमेंट करने का अधिकार है।

13. दूसरा पक्ष विकास कार्य हेतु (अनुसूची ''ए'' एवं अन्य भूमि) किसी भी अनुमति, अनुदान, सेवा कनेक्शन आदि के लिये सरकार, राज्य, केन्द्र या स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों/संगठनों से सम्पर्क करने के लिए अधिकृत है।

14. भूमि, प्रत्येक मूल भूखंड से विनियोजित की जाएगी और लागू भवन उपनियमों के मानदंडों के अनुसार विकास के विभिन्न घटकों को विकसित करने के लिये उपयोग की जाएगी।

15. ले–आउट योजना, अनुसूची ''बी'' के अनुसार सजरा योजना पर अधिरोपित की जाएगी।

16. विकसित भूमि का लागत मूल्यांकन, दूसरे पक्ष द्वारा मौजूदा लागत दिशानिर्देशों (समय–समय पर संशोधित) के आधार पर किया जायेगा। विकसित भूखंडों के लिए आवंटन दर भी, जैसा लागू हो, द्वितीय पक्ष द्वारा तय की जाएगी। पुर्नगठित भूखंडों का 'अंतर मूल्य निर्धारण' द्वितीय पक्ष द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार किया जाएगा।

17. दूसरा पक्ष, भूमि का उपयोग भविष्य में वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग, समूह आवास और अन्य के लिये कर सकता है ताकि बुनियादी ढांचे के विकास की लागत और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए क्रॉस–सब्सिडी को सक्षम किया जा सके।

18. **दूसरा पक्ष, तीसरे पक्ष को हस्तांतरण विलेख के लिए विज्ञापन देने और एग्रीमेंट में प्रवेश करने, विचार प्राप्त करने, रसीदें जारी करने, आय का विनियोग करने का हकदार होगा, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी। इस एग्रीमेंट पत्र में उल्लेखित भूमि के ऊपर विकसित किये जाने वाले भूखण्ड पर प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष सम्मिलित रूप से ऐसे तीसरे पक्ष के खरीदारों को एटीएस/बिक्री–विलेख/पंजीकरण/अन्य हस्तांतरण निष्पादित करने और प्रस्तुत करने के हकदार होंगे।**

19. राजस्व उक्त परियोजना के लिए खोले गये एस्क्रो खाते/रेरा खाते के तहत जमा किया जाएगा और रेरा अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निकाला जाएगा।

रामकुमार

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

20. यदि दूसरा पक्ष किसी वित्तीय संस्थान से परियोजना के लिए ऋण लेता है तो पहला पक्ष ऋण लेने के लिए भूमि के अपने हिस्से के स्वामित्व के कागजात भी प्रदान करेगा और दूसरा पक्ष किसी भी दायित्व के खिलाफ पहले पक्ष को क्षतिपूर्ति देगा जो ऋण संबंध में उत्पन्न हो सकती है, वित्तिय संस्थान से समस्त देय/ब्याज इत्यादि, द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा इसमें प्रथम पक्ष का कोई दायित्व नहीं होगा।

21. दूसरा पक्ष निर्माण एवं विकास और/समग्र प्रबंधन के लिए बाहरी ठेकेदार/उप-ठेकेदार/एजेंसियों/सह-विकासकर्त्ता नियुक्त कर सकता है।

22. लइसेंसिंग एवं बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन समेत सभी मंजूरी और (इन्हीं तक सीमित नहीं होगी) दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होगी।

23. दूसरा पक्ष पहले पक्ष के अधिकारों में बाधा डाले बिना, परियोजना का विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए, जेडीए, कंसोर्टियम समझौता, सहयोग समझौता, एमओयू इत्यादि जैसे अन्य समझौतों में प्रवेश कर सकता है, जो उसे निर्माण और निर्माण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त लगता है। इसके अलावा, दूसरे पक्ष को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को उक्त उद्देश्य के लिये तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार हैं दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।

24. प्रथम पक्ष अपनी सहमति देता है, दूसरे पक्ष या परियोजना के निर्माण और विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए दूसरे पक्ष द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को परियोजना का लोगो, नाम और बेचने/बाजार/ब्रांडिंग करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। प्रोजेक्ट और संबंधित कंपनियों को ब्रांड करें।

25. दूसरा पक्ष समक्ष प्राधिकारियों से एनओसी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।

26. दूसरे पक्ष को परियोजना में परिसर की बिक्री के सम्बन्ध में नियामक निकायों, सोसायटी, रजिस्ट्रार और किसी अन्य तीसरे पक्ष के समक्ष प्रतिनिधित्व करने और परिसर की बिक्री के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

27. यदि कोई भी पक्ष यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसी असहमति के समय प्रचलित दर पर एसबीआई एमसीएलआर प्लस 1 प्रतिशत ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगें या अथवा दोनों पक्षों द्वारा किये गये व्यावसायिक नुकसान, जो भी ज्यादा हो का भुगतान करना होगा।

28. दूसरे पक्ष को एलडीए/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार और एलडीए/संबंधित अधिकारियों द्वारा। स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार विकास भूमि पर परियोजना में भवन विकसित करने और निर्माण करने का अधिकार होगा।

रामकुमार

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

29. दूसरे पक्ष को सभी प्रकार से परियोजना का प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने और उसके भौतिक कब्जे और उक्त समझौते के अनुसार अन्य दायित्वों का अधिकार होगा।

30. दूसरे पक्ष को संबंधित अधिकारियों, बिजली बोर्ड या किसी अन्य बिजली आपूर्ति कंपनी और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके उपनियमों, नियमों और विनियमों और विशिष्टताओं के अनुसार ऐसी योजनाएं, ले–आउट, समामेलन, उप–प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। विकास भूमि का विभाजन, आरक्षण का स्थानांतरण और उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी आवेदनों, योजनाओं, विशिष्टताओं, कार्यो, दस्तावेजों, लेखों, शपथपत्रों, उपक्रमों, क्षतिपूर्ति आदि पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना, जैसा कि अनुमोदन और अनुमोदन के लिए आवश्यक हो सकता है। उक्त ले–आउट, समामेलन, उप–विभाजन, योजनाएं और विशिष्टताएं और उनमें संशोधन, संशोधित योजनाएं और/या आईओडी जारी करना और परियोजना के संबंध में प्रारंभ प्रमाण पत्र लेने का अधिकार होगा।

31. इस एग्रीमेंट के अनुच्छेद अथवा एग्रीमेंट के बाहर यदि किसी प्रकार का मतभेद, विवाद उत्पन्न होता है तो उसको दोनों पक्ष आपसी विचार–विमर्श से समाधान निकालेंगे। यदि आपसी समझौते से विवाद नहीं सुलझ पाता है तो तृतीय पक्ष की मध्यस्थता से विवाद, मतभेद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तृतीय पक्ष की मध्यस्थता एक्ट 1 9 9 6 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के तहत रहेगी। मध्यस्थता की सुनवाई लखनऊ (उ0प्र0) या कोर्ट लखनऊ जूरिडिकशन का होगा।

32. शासी कानून यह समझौता भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा और इस समझौते से संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में नई दिल्ली के न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होना चाहिये।

33. Collaboration Agreement के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

34. परियोजना का रेरा पंजिकरण के उपरान्त प्रथम पक्ष का प्रतिफल जो कि विकसित भूमि है का हंस्तातरण द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को कर दिया जायेगा।

<u>प्रथम पक्ष</u>

राम सुमेर पुत्र महादीन

आधार संख्या– 783576344765

पैन संख्या– MGYPS6321Q

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

Scanned with OKEN Scanner

अनुसूची

आवेदन सं॰: 202600822002768

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

वर्ष: 2026

बही स॰: 1 | रजिस्ट्रेशन स॰: 2479

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 93500 बाजारी मूल्य - 1332000 पंजीकरण शुल्क - 13320 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 13380

श्री राम सुमेर, रामसुमेर
पुत्र श्री महादीन
व्यवसाय : अन्य
निवासी: ग्राम बेली खुर्द सठवारा परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ

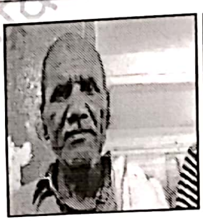

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 22/01/2026 एवं 12:19:30 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेंद्र कुमार वर्मा प्रभारी
उप निबंधक :मोहनलालगंज
लखनऊ
22/01/2026

संजय कुमार गौतम
निबंधक लिपिक
22/01/2026

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

अनुसूची ''ए'' – भूमि का क्षेत्रफल 0.36 हेक्टेयर

चौहददीः– खसरा संख्या– 256

पूर्व – भूमि खसरा संख्या 256 का शेष भाग

पश्चिम – भूमि खसरा संख्या 265

उत्तर – भूमि खसरा संख्या 252

दक्षिण – भूमि खसरा संख्या 258 एवं 264

इसके साक्ष्य में, पार्टियों ने यहां और इसके समकक्षों के लिए निर्धारित किया है और निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में अपने–अपने हस्ताक्षर किए लखनऊ में नीचे उल्लिखित दिन, महीना और वर्ष।

लखनऊ।
दिनांकितः– 22/01/2026

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

रामकुमार

आवेदन सं०: 202600822002768

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 2479 वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री राम सुमेर, |RAM SUMER

पुत्र श्री महादीन

निवासी: ग्राम बेली खुर्द सठवारा परगना व तहसील मोहनलालगंज लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 321Q**

क्रेता: 1

श्री मे० अग्रशील इन्फ्राटेक प्रा०लि० के द्वारा समरेन्द्र प्रताप सिंह , |AGRASHEEL INFRATECH PRIVATE LIMITED

पुत्र श्री चंद्रभान प्रताप सिंह

निवासी: कार्यालय पता 910, 9 फ्लोर मर्केटाइल हाउस के०जी० मार्ग कॉनौत प्लेस सेन्ट्रल देलही नई दिल्ली

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 568N**

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री संदीप कुमार सिंह , पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद

निवासी: 447/57 मिल्लत नगर के०डी०ए० कालोनी गल्ला मंडी नोबस

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री चन्दन सिंह रावत , पुत्र श्री कुन्दन सिंह रावत

निवासी: प्लाट स० 53 खसरा सं० 441 दसौली बी०के०टी० कुर्सीरोड गुडम्बा लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेंद्र कुमार वर्मा प्रभारी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ
22/01/2026

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

संजय कुमार गौतम
निबंधक लिपिक लखनऊ
22/01/2026

Scanned with OKEN Scanner

गवाहः–

1. संदीप कुमार सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद
निवासी– 447/57, मिल्लत नगर के0डी0ए0 कालोनी, गल्ला मंडी, नौबस्ता, कानपुर उ0प्र0
मो0 नं0–7985241526

2. चन्दन सिंह रावत पुत्र श्री कुन्दन सिंह रावत
निवासी– प्लाट नं0–53 खसरा नं0–441, दसौली, बी.के.टी. कुर्सी रोड गुडम्बा, लखनऊ उ0प्र0
मो0 नं0–8318990084

प्रथम पक्ष/मालिकः–

राम सुमेर पुत्र महादीन
मो0 नं0–8808948520

दूसरा पक्ष/निर्माता–

अग्रशील इन्फ्राटेक प्रा0 लि0
मो0 नं0–7007123394

For Agrasheel Infratech Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

टाईपकर्ता

एम0 कुमार

मसविदाकर्ता

ऋषि मोहन द्विवेदी
(एडवोकेट)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202600822002768

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 19473 के पृष्ठ 275 से 288 तक क्रमांक 2479 पर दिनाँक 22/01/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेंद्र कुमार वर्मा प्रभारी
उप निबंधक : मोहनलालगंज
लखनऊ
22/01/2026

Scanned with OKEN Scanner